

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-16052020-219404
SG-DL-E-16052020-219404

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 79]	दिल्ली, शुक्रवार, मई 15, 2020/वैशाख 25, 1942	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 12
No. 79]	DELHI, FRIDAY, MAY 15, 2020/VAISAKHA 25, 1942	[N.C.T.D. No. 12

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव विभाग

अधिसूचना

दिनांक, 13 मई, 2020

फा. सं. 475/टी०ओ०(एस०)/टी० सी०-फेलिंग/18-19/55.63.—दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 29 (1994 का दिल्ली अधिनियम 11) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, एम्स, पश्चिम अंसारी नगर, नई दिल्ली के परिसर में आवासीय कॉलोनी के पुनर्विकास हेतु नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 2.323157 हेक्टेयर क्षेत्रफल से उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के उपबंधों से छूट प्रदान करती है।

स्थान	परियोजना स्थल पर वृक्षों की कुल संख्या	बचाये जाने वाले वृक्षों की संख्या	वृक्षों की संख्या			उपभोगी संस्था द्वारा अपेक्षित प्रतिपूरक वृक्षारोपण (वृक्षों की संख्या)
			काटे जाने वाले	प्रत्यारोपण हेतु	योग	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
एम्स, पश्चिम अंसारी नगर, नई दिल्ली के परिसर में आवासीय कॉलोनी के पुनर्विकास हेतु ।	1010	939	02	69	71	710
योग	1010	939	02	69	71	710

यह छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:—

- राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम जो कि उपभोगी संस्था के रूप में संदर्भित है, को सात वर्ष की अवधि के लिए पौधों के संपूर्ण विकास एवं रखरखाव हेतु निम्नानुसार 40,47,000/- रुपये (चालीस लाख सैंतालीस हजार मात्र) की राशि अग्रिम रूप में जमा करवानी होगी।

क्र.सं.	प्रतिपूरक वनीकरण वृक्षारोपण का स्थान	लगाए जाने वाले पौधों की संख्या	अन्य प्रशासनिक व्ययों तथा आकस्मिक व्यय सहित कुल राशि	वन प्रभाग में जमा कराई जाए
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(क)	100% प्रतिपूरक वृक्षारोपण (71 वृक्षों को काटने/ प्रत्यारोपण किए जाने वाले वृक्षों का दस गुना) 710 पौधों का प्रस्तावित प्रजातियाँ नीम, अमलतास, पीपल, पिलखन, गूलर, बरगद, देशी कीकर, अर्जुन एवं अन्य देशी प्रजातियों के साथ एम्स वेस्ट कैम्पस (481 पौधे) और अयूर विज्ञान नगर (229 पौधे) की भूमि पर उपभोगी संस्था द्वारा किया जाएगा।	710	40,47,000 /-	उप- वन संरक्षक (दक्षिण)/वन अधिकारी
(ख)	उपभोगी संस्था द्वारा परियोजना स्थल से 69 वृक्षों का प्रत्यारोपण एम्स वेस्ट कैम्पस, अंसारी नगर, नई दिल्ली में उपलब्ध भूमि पर किया जाएगा।			

- उपरोक्त 1 (क) और (ख) के अनुसार, देशी प्रजातियों के 710 पौधों का 100% प्रतिपूरक वृक्षारोपण और उनका सात वर्षों तक रखरखाव उपभोगी संस्था द्वारा किया जायेगा। इस वृक्षारोपण के सफलतापूर्वक स्थापना के बाद उपभोगी संस्था द्वारा निगरानी की जाएगी।
- 71 वृक्षों को काटे/ प्रत्यारोपण जाने के बदले में 1:10 के अनुपात में स्वदेशी प्रजातियों के 6-8 फीट की ऊँचाई वाले 710 पौधों का प्रतिपूरक वृक्षारोपण गैर-वन भूमि पर किया जाएगा। वृक्षारोपण की अनुमति के जारी होने के तीन महीने के अंदर निर्धारित की गई भूमि पर अतिरिक्त उपायों के साथ वृक्षारोपण स्थल के अनुसार विशिष्ट वृक्षारोपण तकनीकों के द्वारा किया जाएगा और उपभोगी संस्था द्वारा जमा की गई राशि से दक्षिण वन प्रभाग द्वारा रखरखाव किया जाएगा।
- उपभोगी संस्था द्वारा अतिरिक्त साइट सुधार खर्चों को जमा किया जाएगा जो कि वृक्ष अधिकारी द्वारा गणना के अनुसार वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त बनाने के लिए आवश्यक हो सकता है।
- उपभोगी संस्था द्वारा प्रतिपूरक वृक्षारोपण/ प्रत्यारोपण स्थल में मृदा नमी संरक्षण कार्य की गतिविधियों को किया जाएगा।
- उपभोगी संस्था के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस प्रस्ताव की योजना को परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
- उपभोगी संस्था द्वारा जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, मृदा तैयार करने के लिए व्यापक हस्तक्षेप के आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त बजट दिया जाएगा।
- जो भूमि प्रतिपूरक वृक्षारोपण के लिया आवंटित है, उसका उपयोग किसी अन्य कार्यों के लिए राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना नहीं किया जाएगा।
- अनुमति जारी होने के तुरंत बाद वृक्षों का प्रत्यारोपण शुरू किया जाएगा और इसे तीन महीने के अंतराल में पूर्ण किया जाएगा। प्रत्यारोपण प्रक्रिया के पूर्ण होने का बाद एक सम्पूर्ण रिपोर्ट संबन्धित वृक्ष अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी। प्रत्यारोपण स्थल में प्रत्यारोपित वृक्षों की दूरी 4 मीटर (बिंदु से बिंदु) से कम नहीं होनी चाहिए।
- वृक्षों के प्रत्यारोपण हेतु एक प्रस्तावित नीति दिल्ली सरकार में विचाराधीन है, इसलिए भविष्य की अनुमति में नीति के कार्यान्वयन के कारण प्रभावी होने वाले किसी भी बदलाव को संभावित प्रभाव के साथ सक्षम प्राधिकरण की मंजूरी के साथ उस सीमा तक संशोधित किया जाएगा।
- वृक्षों को काटने/ प्रत्यारोपण के लिए अनुमति उनके स्वयं के जोखिम पर और किसी भी अन्य व्यक्ति के दावे के पक्षपात के बिना, जो वृक्षों और भूमि पर सही हो सकती है, दी जा रही है।
- उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षों को काटने/ प्रत्यारोपण का कार्य सभी वैधानिक मंजूरीयों को लेने के बाद ही शुरू किया जाएगा।

13. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षों की प्रत्यारोपण की प्रगति रिपोर्ट संबंधित निरीक्षण अधिकारी के माध्यम से वृक्ष अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी।
14. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षों को काटने के उपरान्त प्राप्त लकड़ियों की नीलामी की जाएगी और उससे प्राप्त धनराशि को सरकार के खाते में राजस्व के रूप में जमा की जाएगी।
15. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षों के ऊपरी शाखाओं को काटे जाने के पश्चात प्राप्त लकड़ियों को मुफ्त में निकटतम सार्वजनिक शवदाहों में प्रयोग हेतु सौंपी जाएगी और इसकी सूचना वृक्ष अधिकारी (दक्षिण) को दी जानी जाएगी।
16. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षों को काटने के स्थल से लकड़ियों को ले जाने से पूर्व वृक्ष अधिकारी (दक्षिण) से ढुलाई अनुमति प्राप्त करनी होगी।
17. उपभोगी संस्था के द्वारा पर्यावरण मंजूरी में उल्लिखित सभी शर्तों का पालन किया जायेगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के
आदेश से तथा उनके नाम पर,

संजीव खिरवार, प्रधान सचिव (पर्यावरण एवं वन)

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, FORESTS AND WILDLIFE

NOTIFICATION

Delhi, the 13th May, 2020

F.No.R.475/TO(S)/TC-Felling/2018-19/55-63.—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994 (Delhi Act 11 of 1994), the Government of National Capital Territory of Delhi, hereby, in public interest exempts an area of 2.323157 ha. as detailed below for redevelopment of Residential Colony at West Ansari Nagar Campus of AIIMS, New Delhi from the provision of sub-section (3) of section 9 of the said Act.

Location	Total no. of trees at the project site.	Number of trees to be				Compensatory Plantation by User Agency (Number of trees)
		Saved	Felling	Transplantation	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
Redevelopment of Residential Colony at West Ansari Nagar Campus of AIIMS, New Delhi	1010	939	02	69	71	710
Total	1010	939	02	69	71	710

The said exemption is subject to fulfillment of the following conditions:-

1. NBCC India Ltd., herein referred to as User Agency, shall make an advance deposit of an amount of Rs. 40,47,000 /- (Rupees Forty Lakh Forty Seven Thousand Only) towards security deposit for creation and maintenance of compensatory plantation for a period of Seven years as follows,

S.No.	Location of Compensatory plantation.	Number of saplings to be planted	Total Amount including other Administrative expenses and contingency charges (in	To be Deposited with Forest Division.
-------	--------------------------------------	----------------------------------	--	---------------------------------------

			Rs.).	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(a)	100% Compensatory Plantation ten times the number of trees permitted for felling/ transplant of 71 trees i.e. 710 number of tree saplings proposed to be of species Neem, Amaltas, Peepal, Pilkhan, Gular, Bargad, Desi Kikkar and Arjun along with other native species shall be carried out by User Agency at AIIMS West Campus (481 Nos) and Ayur Vigyan Nagar (229 Nos.) New Delhi.	710	40,47,000 /-	Deputy Conservator of Forests (South)/ Tree Officer
(b)	Transplantation of 69 no. of trees which are standing on site shall be done by User Agency at AIIMS West Campus, Ansari Nagar, New Delhi.			

2. 100% Compensatory Plantation of 710 saplings of native species shall be raised and maintained by User Agency for Seven years and monitored till its successful establishment as indicated at 1 (a) & (b) above.

3. Plants of indigenous species 6-8 feet height shall be planted as compensatory plantation in ratio of 1:10 on non-forest land in lieu of removal/ transplantation of 71 no. of trees. The plantation shall be done by following site specific plantation techniques with additional measures on identified land within three months of issue of tree felling permission and maintenance shall be carried out there after by South Forest Division utilizing the deposits made by User Agency.

4. The User Agency shall also deposit extra site improvement expenses which may be required to make the site suitable for plantation as calculated by Tree Officer concerned (as deposits).

5. The User agency shall implement the improved soil moisture conservation activities on compensatory plantation/ transplantation site utilizing the deposits made by User Agency.

6. The User Agency shall ensure that the plan of this proposal shall not be changed.

7. Extensive interventions if any required to be undertaken for soil preparation, shall be carried out and additional budget if needed, shall be provided by User Agency.

8. The land over which compensatory plantation raised shall not be utilized for other purpose without the approval of State Government.

9. Transplantation of trees shall be initiated immediately after permission is issued and should be completed not later than three months, after which a completion report has to be submitted to the Tree Officer. The spacing of the transplantation of trees shall not be less than 4 meter (point to point) at transplantation site.

10. A draft policy on transplantation of trees is under active consideration with State Government of Delhi, therefore, any change brought in to effect due to implementation of the policy in future permission shall be modified to that extent with the approval of Competent Authority with prospective effect.

11. Permission for felling/ transplantation of all trees is being granted at their own risk and without prejudice to the claim (s) of any other person/s who may be having any rights(s) over the land or the trees.

12. Before the felling/ transplantation of trees from the site is commenced all requisite statutory clearances shall necessarily be obtained by the User Agency.

13. Progress report of transplantation shall be submitted to Tree Officer by User Agency through inspection officer concerned along with complete details of trees.

14. The timber obtained from removal of trees shall be auctioned and proceeds shall be deposited as revenue to the Government account by the User Agency.

15. The lops and tops of the trees shall be sent/ supplied to the nearest crematorium free of cost and the same should be reported to DCF (South) by User Agency.
 16. Before shifting of timber, if any, from site of removal of trees, permission for transportation of the said wood shall be obtained from the DCF (South) by User Agency.
 17. It should be ensured by the user agency that all the conditions mentioned in environmental clearance, if any obtained, shall be followed scrupulously.
- .

By order and in the name of the
Government of National Capital Territory of Delhi,

Sanjeev Khirwar, Principal Secy. (Env. & Forests)